सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय।

विषयः– **वाहन सं0 UP32 LF 5201 क्रय किये जाने पर लगी आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्तिगत उपभोग हेतु CIAZ UP32 LF 5201 दिनांक 07.01.2020 को क्रय किया गया, जिसके सम्बन्ध में समस्त सूचना माननीय न्यायालय को प्रेषित की गयी। उपरोक्त के क्रम में मेरे चाचा द्वारा रू0 2,10,000–00 बतौर गिफ्ट दिया गया, जिसकी गिफ्ट डीड पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

वर्तमान में उपरोक्त प्रदान की गयी सूचना पर आपत्ति प्रेषित कर मेरे चाचा द्वारा दिया गया गिफ्ट के पासबुक ट्रांजेक्शन की मांग की गयी है, उक्त के सम्बन्ध में निम्न वांछित सूचना महोदय की सेवा में प्रेषित है।

1– आपत्ति में मेरे चाचा द्वारा दी गयी धनराशि 2,10,000–00 दर्शायी गयी है जिसमे से मेरे चाचा द्वारा कुलदीप मोटर्स को 2,06,499–00 का भुगतान किया गया, शेष रू0 3501–00 मेंरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेट्रोल, ड्राइवर आदि में खर्च किया गया। धनराशि 2,06,499–00 का विवरण बिन्दु संख्या–2 एवं 3 में वर्णित है।

2– उपरोक्त 2,06,499–00 धनराशि में से मेरे चाचा द्वारा कुलदीप मोटर्स, लखनऊ को रू0 1,99,999–00 धनराशि बतौर कैश पेमेंट किया, जिसे बिल संख्या 814 दिनांक 28.12.2019, 896 दिनांक 03.01.2020 एवं 770 दिनांक 20.12.2019 के योग से प्रमाणित किया जा सकता है। वर्णित लेनदेन इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुपालन के अन्तर्गत है।

3– शेष 6500–00 धनराशि मेरे चाचा द्वारा कुलदीप मोटर्स के खाता सं0 5020041269297 में डाला गया, जिसे बिल संख्या 919 दिनांक 07.01.2020 द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सूचना का अवलोकन कर आपत्ति निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त

भवदीया

दिनांक : 22|11|23

(अंजिता सिंह चौहान)
अपर सिविल जज (जू0डि0),
कक्ष सं0–31, शाहजहाँपुर।